



कार्यालय बरेली विकास प्राधिकरण, बरेली

विकास ज्योति, प्रियदर्शिनी नगर, पीलीभीत रोड, बरेली (उ०प्र०)
Website : www.bdainfo.org, email : bdabareilly@yahoo.com, blyda@up.nic.in

दूरभाष : 05812301640

फैक्स : 05812301299

पत्रांक :

/का०ब०वि०प्रा०/2024-25

दिनांक :

आवंटन-पत्र

प्रेषक,

वरिष्ठ सम्पत्ति प्रभारी
बरेली विकास प्राधिकरण
बरेली।

सेवा में,

श्री/श्रीमती/कु०

पुत्र/पत्नी/पुत्री श्री

निवासी.....

मो०नं०.....

विषय: ग्रेटर बरेली आवासीय योजना के सेक्टर-..... में स्थित भूखण्ड सं०.....श्रेणी.....
क्षेत्रफल..... वर्ग मी० के आवंटन के सम्बन्ध में।

महोदय/महोदया,

Property Code : (इस कोड़ को प्राधिकरण से पत्र व्यवहार के समय अवश्य प्रयोग करें)

आपके द्वारा आवेदन के साथ पंजीकरण धनराशि रुपये ()
प्राधिकरण कोष में जमा की गयी थी, जिसके क्रम में दिनांक को आयोजित लॉटरी ड्रा
के माध्यम से आपको उक्त भूखण्ड का आवंटन किया गया है। भूखण्ड का अनुमानित क्षेत्रफल
वर्ग मी० है तथा अनुमानित मूल्य रु० () है।

अतएव भूखण्ड की अवशेष धनराशि निम्न विवरण के अनुसार बरेली विकास प्राधिकरण के पक्ष
में bdapms.in पर ऑनलाइन अथवा ई-चालान के माध्यम से निम्न प्रकार जमा करनी होगी :-

क्रमांक	विवरण	धनराशि	देय तिथि
01.	सम्पत्ति का मूल्य		
	जमा पंजीकरण धनराशि		
02.	आवंटन धनराशि		
	फ्री-होल्ड धनराशि		
03.	अवशेष 75 प्रतिशत धनराशि एकमुश्त के आधार पर		
	अथवा किश्तों के आधार पर धनराशि रुपयेपर 8 त्रैमासिक किश्तों में 10 प्रतिशत ब्याज सहित		

किश्तों का विवरण

क्र०सं०	किश्त की देय तिथि	किश्त की धनराशि	किश्त में मूलधन	किश्त में ब्याज
01.				
02.				
03.				
04.				
05.				
06.				
07.				
08.				
योग				

- आवंटन धनराशि देय तिथि तक प्राधिकरण कोष में जमा करनी होगी। आवंटन धनराशि निर्धारित समय तक जमा न करने की दशा में आवंटन नियमानुसार निरस्त किया जा सकता है।
- भूखण्ड के मूल्य का प्रतिशत फ्री-होल्ड शुल्क अतिरिक्त देय होगा। फ्री-होल्ड आवंटन-पत्र जारी होने से दिनांक तक बिना ब्याज के जमा किया जा सकेगा। यदि नियत अवधि में फ्री-होल्ड जमा नहीं किया जाता है तो ब्याज सहित निबंधन से पूर्व किसी भी समय जमा किया जा सकता है।
- सम्पत्ति का मूल्य 50.00 लाख से अधिक होने पर आवंटी द्वारा भूखण्ड के मूल्य से 1 प्रतिशत टी0डी0एस0 की कटौती कर अवशेष धनराशि प्राधिकरण कोष में जमा करनी होगी तथा 1 प्रतिशत टी0डी0एस0 की धनराशि आयकर विभाग में आवंटी द्वारा जमा कर चालान प्राधिकरण में प्रस्तुत किया जायेगा। (पैन नम्बर AAALB0169K)
- 1- किश्तों की धनराशि विलम्ब से जमा करने की दशा में प्रतिशत अतिरिक्त दण्ड ब्याज देय होगा।
- 2- विलम्ब ब्याज सहित जमा धनराशि हेतु विलम्बतम अवधि 90 दिन होगी, यदि इस अवधि में भी वॉछित धनराशि विलम्ब ब्याज सहित जमा नहीं करायी जाती है तब आवंटित भूखण्ड का आवंटन स्वतः निरस्त समझा जायेगा।
- 3- कार्नर भूखण्ड आवंटित होने की दशा में भूखण्ड के मूल्य पर प्रतिशत अतिरिक्त धनराशि देय होगी।
- 4- यदि अर्जन मूल्य/निर्माण की लागत में वृद्धि होती है तो बड़े हुए मूल्य की धनराशि समानुपातिक आधार पर आवंटियों द्वारा देय होगी।
- 5- आवंटन पत्र की मूल प्रति को ही ऋण हेतु अनापत्ति पत्र माना जायेगा।
- 6- देय किश्तों की धनराशि को समय से जमा न करने पर लगातार तीन किश्तें डिफॉल्टर होने की दशा में सक्षम अधिकारी/उपाध्यक्ष, बरेली विकास प्राधिकरण को यह अधिकार होगा कि वह आवंटन निरस्त कर दे। आवंटन निरस्त होने की दशा में पंजीकरण पुस्तिका की शर्तों के अनुसार धनराशि वापस की जायेगी।
- 7- अन्य नियम एवं शर्तें पंजीकरण/विवरण पुस्तिका के अनुसार होगी।

नोट :-

- यदि आवंटी द्वारा ऑनलाइन अथवा ई-चालान के माध्यम से धनराशि जमा नहीं की जाती है तो आवंटी आवंटित सम्पत्ति की धनराशि PNB Rajendra Nagar Bareilly में स्थित बरेली विकास प्राधिकरण के खाता सं0-..... आई0एफ0एस0सी0 कोडमें जमा कर सकता है।

वरिष्ठ सम्पत्ति प्रभारी
बरेली विकास प्राधिकरण
बरेली।